न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/4673

1- बेवा रामरती कोरी पति मोहन लाल कोरी उम्र 58 साल

2- मैनावती उर्फ भूरी पिता मोहन लाल कोरी उम्र 25 साल

दोनो निवासी ग्राम ब्यौहरा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 ... निगरानी कर्ता गण

बनाम

1- बेवा महगी कोरी पति स्व0 सुखई कोरी उम्र 53 साल

2- रामाश्रय कोरी पिता सुखई कोरी उम्र 36 साल

3- समयलाल कोरी पिता सुखई कोरी उम्र 32 साल

सभी निवासी ग्राम ब्यौहरा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 ..... गैर निगरानी कर्ता गण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल मनिकवार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/अ12/2017-18 आदेश दिनांक 7.11.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

श्री आर-एस-सेंगर द्वारा आज दि. 27-11-17 को प्रस्तुत 27-11-17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दि0 14-12-17

आर.एस. सेंगर 27-11-17

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त सार निम्नलिखित है

यह कि आराजी नं. 892 रकबा 0.080 है0, एव आराजी नं. 893 रकबा 0.077 है0 स्थित मौजा ब्यौहरा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 मे स्थित है। उक्त आराजियातो का नक्शा तरमीन हल्का पट-

नि. अंगूठा - रामरती कोरी

क्र...

दी मैनावती कोरी

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4673

बेवा रामरती व अन्य विरूद्ध बेवा महगी कोरी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल मनिकवार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 5/अ–12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 07–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 5/3/19	

नि. महगी - रामरती कोरी

पृ...